बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक– प्र06 / विविध 49 / 13 1499 खाद्य, पटना / दिनांक 21.03.18

प्रेषक,

पंकज कुमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– समाज के कमजोर वर्गों एवं महादलित परिवारों को राशन कार्ड निर्गत करने के सम्बन्ध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक– 5(1)/2017-PD-III दिनांक 17.11.2017 के आलोक में विभागीय पत्रांक 5983 दिनांक 24.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राशन कार्ड निर्गत करने हेतु दिनांक 25.11.2017 से 31.01.2018 तक विशेष अभियान चलाते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो कि अप्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले के अन्तर्गत महादलित टोलो का सर्वेक्षण एवं सत्यापन कराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में समाज के कमजोर वर्गों एवं महादलित परिवारों के छूटे हुए परिवारों को प्राथमिकता के आधार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए राशन कार्ड निर्गत किया जाय ताकि उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

21/3/2018
सरकार के सचिव ।

D:\Year+2017+\+SECTION- 06+\Vividh Avi.doc